# कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) जशपुर, जिला–जशपुर (छत्तीसगढ़)

//आदेश//

क्रमांक /1427/अवि.अ./कानूनगो/2026 जशपुर दिनांक 11.11.2026

प्रति,

श्री/श्रीमती .....
पटवारी, प० ह० नं०.....
तहसील जशपुर/मनोरा
जिला जशपुर (छ०ग०)

विषय :– पटवारी द्वारा हड़ताल अवधि में कर्तव्य से अनधिकृत रूप से अनुपस्थित रहने के संबंध में हड़ताल अवधि को Break in Service माने जाने बाबत।

संदर्भ :– 1. सामान्य प्रशासन विभाग, छत्तीसगढ़ शासन का परिपत्र क्रमांक F 2–3/1–9/2006, रायपुर दिनांक 10.04.2006

2. इस कार्यालय का पत्र क्रमांक/क्यू/वाचक/2026 जशपुर दिनांक 31.10. 2026. जिसके माध्यम से संबंधित पटवारी को कर्तव्य पर उपस्थित होने के निर्देश दिए गए थे।

––::00::––

संदर्भित विषयान्तर्गत लेख है कि आपके द्वारा दिनांक 13.10.2026 से हडताल अवधि तक पटवारी संघ की हड़ताल में सम्मिलित रहते हुए अपने शासकीय कर्तव्यों का निर्वहन नहीं किया गया। उक्त अवधि में इस कार्यालय द्वारा संदर्भित पत्रों के माध्यम से शासकीय कार्य पर उपस्थित होने हेतु निर्देशित किया गया तथा अनुपस्थिति के संबंध में आवश्यक समझाईश देते हुए नियमानुसार कार्रवाई किए जाने के संबंध में अवगत कराया गया। इसके बावजूद आपके द्वारा निर्धारित अवधि में अपने कर्तव्यों का निर्वहन नहीं किया गया।

यह उल्लेखनीय है कि पटवारी का कार्य राजस्व प्रशासन की महत्वपूर्ण इकाई है तथा किसानों एवं आम नागरिकों को समयबद्ध राजस्व सेवाएँ उपलब्ध कराने में पटवारी की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण है। संबंधित पटवारी की अनुपस्थिति के कारण शासन की प्राथमिकता वाले महत्वपूर्ण कार्य प्रभावित हुए, जिनमें AgriStack के अंतर्गत कृषकों एवं कृषि भूमि से संबंधित जानकारी का संधारण एवं अद्यतन, खरीफ गिरदावरी हेतु DCS सर्वे, पॉलीगॉन निर्माण तथा पॉलीगॉन सर्वे जैसे समय–सीमा में पूर्ण किए जाने वाले कार्य सम्मिलित हैं। ये कार्य सीधे कृषकों के हितों तथा राजस्व अभिलेखों की शुद्धता से संबंधित हैं। इसके अतिरिक्त, पटवारी की अनुपस्थिति से नामांतरण, बंटवारा, सीमांकन, भूमि अभिलेखों के अद्यतन तथा अन्य राजस्व संबंधी कार्यों के निष्पादन पर भी प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की स्थिति उत्पन्न हुई। इससे आम नागरिकों एवं कृषकों को आवश्यक राजस्व सेवाएँ प्राप्त करने में असुविधा हुई तथा शासकीय कार्यों के समयबद्ध निष्पादन में बाधा उत्पन्न हुई।

संबंधित पटवारी की अनुपस्थिति एवं उसके कारण शासकीय कार्यों पर पड़े प्रभाव के संबंध में उपलब्ध अभिलेखों का परीक्षण किया गया। इस संबंध में सामान्य प्रशासन विभाग, छतीसगढ़ शासन के परिपत्र क्रमांक F 2–3/1–9/2006 दिनाँक 10.04.2006 के परिपत्र तथा अन्य लागू सेवा नियमों के प्रावधानों को ध्यान में रखते हुए प्रकरण पर विचार किया गया है।उपलब्ध अभिलेखों, जारी निर्देशों, अनुपस्थिति की अवधि, शासकीय कार्यों पर पड़े प्रभाव तथा आम नागरिकों को हुई असुविधा को दृष्टिगत रखते हुए यह निष्कर्ष निकाला जाता है कि संबंधित पटवारी द्वारा उक्त अवधि में अपने

शासकीय कर्तव्यों का निर्वहन नहीं किया गया। अतः लागू सेवा नियमों एवं सक्षम प्राधिकारी के अधिकारों के अधीन उक्त अनुपस्थिति अवधि के संबंध में नियमानुसार निर्णय लिया जाना उचित है।

अतः आदेशित किया जाता है कि दिनांक 13.10.2026 से हड़ताल अवधि तक की हड़ताल/अनुपस्थिति अवधि को लागू सेवा नियमों एवं शासन के प्रासंगिक निर्देशों के अधीन Break in Service के रूप में मान्य किया जाता है। उक्त अवधि के वेतन एवं अन्य सेवा लाभों के संबंध में नियमानुसार आवश्यक कार्रवाई किया जावेगा।

संबंधित तहसीलदार यह सुनिश्चित करेंगे कि आदेश की प्रति संबंधित पटवारी को तामील कराई जाए तथा सेवा अभिलेखों में नियमानुसार आवश्यक प्रविष्टि की जाए। आदेश के क्रियान्वयन में लागू सेवा नियमों एवं सक्षम प्राधिकारी के निर्देशों का पालन सुनिश्चित किया जाए।

यह आदेश तत्काल प्रभावशील होगा।

अनुविभागीय अधिकारी (रा०)
जशपुर, जिला–जशपुर (छ०ग०)

क्रमांक /1427/अवि.अ./कानूनगो/2026 जशपुर दिनांक 11.11.2026

प्रतिलिपि :

1. सचिव महोदय राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग मंत्रालय महानदी भवन नवा रायपुर की ओर सादर सूचनार्थ संप्रेषित ।
2. आयुक्त महोदय सरगुजा संभाग अंबिकापुर की ओर सादर सूचनार्थ संप्रेषित ।
3. कलेक्टर महोदय जिला जशपुर की ओर सादर सूचनार्थ संप्रेषित ।
4. अधीक्षक भू–अभिलेख, जिला जशपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
5. तहसीलदार, तहसील जशपुर/मनोरा जिला जशपुर के आदेश की तामील एवं नियमानुसार आवश्यक कार्रवाई हेतु।

अनुविभागीय अधिकारी (रा०)
जशपुर, जिला–जशपुर (छ०ग०)